विनियामक और अन्य उपाय

जनवरी 2008

शहरी सहकारी बैंक - शैक्षिक ऋण पर जोखिम भार

29 जनवरी 2008

भा.रि.बैं./2007-2008/231 शबैंवि. पीसीबी. परि. सं.31 / 09.11.600 / 07-08, 29 जनवरी 2008

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

शैक्षिक ऋण पर जोखिम भार - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 5 जनवरी 2005 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.33/09.116.00/04-05 देखें जिसके द्वारा वैयक्तिक ऋण के साथ उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया था। वर्तमान में, 'शैक्षिक ऋण' को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु 'उपभोक्ता ऋण' के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार उस पर 125 प्रतिशत जोखिम भार लगता है।

2. अब इस स्थिति की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 'शैक्षिक ऋण' को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता ऋण के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। तदनुसार, शैक्षिक ऋण पर वर्तमान 125 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत जोखिम भार लागू होगा।